न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

राजस्व मामला क्रमांक 202505092100003 अ/62 वर्ष 2024-2025

(1)	(2)	(3)
15/05/2025	- प्रकरण पेश। - आवेदिका मोनिका राजेश सिंह निवासी ग्राम अण्डी तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) सुशासन तिहार 2025 में आवेदन पेश किया गया है कि आवेदिका के घर के पास बरगद का पेड़ स्थित है, जिसे कटवाने की अनुमति प्रदाय करने हेतु निवेदन किया गया है। - उक्त संबंध में हल्का पटवारी अण्डी से प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम अण्डी में खसरा नंबर 555 सड़क रास्ते में एक बरगद का हरा-भरा वृक्ष स्थित है। उक्त वृक्ष को आवेदिका के द्वारा नये घर निर्माण करने के लिये वृक्ष को कटवाकर हटवाना चाहती है। चूंकि उक्त वृक्ष शासकीय सड़क रास्ता तथा चौक में स्थित है, जहां पर ग्रामवासी छाया में बैठते हैं। आवेदिका के द्वारा अपने निजी लाभ लेने हेतु वृक्ष को कटवाने की मांग की गई है। उक्त वृक्ष को काटा जाना उचित नहीं होगा। - प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदनानुसार आवेदित बरगद वृक्ष खसरा नंबर 555 शासकीय भूमि सड़क रास्ता मद में दर्ज है। उक्त बरगद वृक्ष हरा-भरा तथा फलदार है एवं ग्रामवासियों को छाया प्रदाय करती है। आवेदिका के द्वारा अपने निजी लाभ हेतु उक्त वृक्ष को कटवाना चाहती है। अतः आवेदित बरगद वृक्ष शासकीय भूमि सड़क रास्ता में होने व हरा-भरा होने तथा उक्त वृक्ष से जनक्षति नहीं होने के कारण आवेदित बरगद वृक्ष को काटा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। - आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं घोषित। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) अनुविभागीय अधिकारी	